न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–87/2014–15

मिथिलेश कुमार बनाम सुनीता देवी

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

04/04/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 33/2013–14 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 03.02.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
मनेर	छितनावा	96	94	2080	1 कठ्ठा

वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी को साधारण एवं निबंधित डाक से सूचना दी गयी। निबंधित पत्र वापस हो जाने के पश्चात दिनांक 26.07.2017 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। आवेदक को कई बार निदेश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराने की दिशा में कार्रवाई नहीं की गयी। आज आवेदक पुकार पर अनुपस्थित है, अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

आवेदक के आवेदन के अनुसार

(1) विवादित खाता खेसरा के भूखण्ड का खतियानी रकवा 5डी0 है, जो बासुदेव सिंह की थी। वासुदेव सिंह अपने पीछे तीन पुत्र धर्मपाल सिंह, रामानंद सिंह एवं महानंद सिंह को छोड़कर वर्ष 1954 में मृत्यु को प्राप्त हो गये।

(2) वासुदेव सिंह की मृत्यु के उपरान्त पारिवारिक सम्पति के बंटवारा में विवादित भूखण्ड धर्मपाल सिंह को मिला।

(3) धर्मपाल सिंह को दो पुत्री शिवरतो देवी, पति गणेश प्रसाद सिंह एवं दयामंती देवी, पति सुधीर कुमार सिंह हुई।

(4) धर्मपाल सिंह की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी लखपति देवी के द्वारा अपनी दोनों पुत्रियों के नाम से दिनांक 26.11.1981 को एक निबंधित दान पत्र लिख दिया गया। दोनों पुत्रियों के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम की गयी।

(5) दयामंती देवी, पति सुधीर कुमार सिंह के द्वारा विवादित खेसरा कुल 5डी0 में से एक कठ्ठा की बिक्री आवेदक मिथिलेश कुमार को दिनांक 28.08.2011 के निबंधित केवाला से की गयी।

(6) खरीदगी के बाद आवेदक के द्वारा दाखिल खारिज हेतु मनेर अंचल में आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 2661/2012–13 के अन्तर्गत जांचोपरान्त विधिवत दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

आवेदक के नाम से जमाबंदी सं0 11/07 कायम की गयी तथा लगान रसीद निर्गत की गयी। आवेदक प्रश्नगत भूखण्ड पर दखलकार है।

(7) दाखिल खारिज वाद सं0 2661/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध सुनीता देवी (इस वाद की विपक्षी) के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 33/2013–14 दायर किया गया।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों को दर किनार करते हुए अपील स्वीकृत कर ली गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं दाखिल खारिज अपील वाद सं0 33/2013–14 में पारित आदेश के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) आवेदक का दावा है कि वासुदेव सिंह की मृत्यु के उपरान्त विवादित भूखण्ड बंटवारा में उनके पुत्र धर्मपाल सिंह को मिला। धर्मपाल सिंह की पत्नी लखपति देवी के द्वारा अपनी दोनों पुत्री शिवरती देवी एवं दयमंती देवी को दान पत्र लिख दिया। दयमन्ती देवी के द्वारा विवादित खेसरा से एक कठ्ठा भूमि की बिक्री दिनांक 28.08.2011/10.10.2011 के केवाला से मिथिलेश कुमार (आवेदक) को की गयी।

दूसरी तरफ निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न केवाला दिनांक 30.03.1989 से यह पता चलता है कि प्रश्नगत भूखण्ड 5डी0 बंटवारा में रामानंद सिंह को मिली थी, जिसकी बिक्री उनके द्वारा संजय कुमार को कर दी गयी। पुनः संजय कुमार के द्वारा दिनांक 08.05.2004 के केवाला से अन्य भूखण्ड के साथ विवादित भूखण्ड 5डी0 की बिक्री सुनीता देवी (इस वाद की विपक्षी) को कर दी गयी।

(2) सुनीता देवी के नाम से वर्ष 2004–05 में ही जमाबंदी कायम हो गयी तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(3) वासुदेव सिंह के तीनों पुत्र रामानंद सिंह, महानंद सिंह एवं धर्मपाल सिंह के बीच आपसी खानगी बंटवारा होकर दाखिल खारिज वाद सं0 289/75–76 के द्वारा दिनांक 25.02.1976 को अलग–अलग दाखिल खारिज होकर रसीद कटने लगी, परन्तु दाखिल खारिज वाद सं0 289/1975–76 के आदेश के अवलोकन से यह पता चलता है कि खाता नं0 94 की भूमि तीनों भाईयों में बंटी है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन–कौन सा खेसरा किस भाई को मिला।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड कुल 5डी0 की लगान रसीद वर्ष 2004–05 से सुनीता देवी के नाम से कट रही है तथा उसके पूर्व उनके बिक्रेता संजय कुमार के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रही थी। संजय कुमार के नाम से वर्ष 95–96 की लगान रसीद की छाया–प्रति निम्न न्यायालय में जमा की गयी थी। दूसरी तरफ आवेदक मिथिलेश कुमार के विक्रेता दयमंती देवी की वर्ष 2009–10 की लगान रसीद की छाया प्रति निम्न न्यायालय में दाखिल की गयी थी।

(5) स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड कुल रकवा 5डी0 के लिए इस वाद की विपक्षी सुनीता कुमारी के विक्रेता संजय कुमार की जमाबंदी वर्ष 1994–95 से कायम है तथा खरीदगी के पश्चात सुनीता कुमारी के नाम से वर्ष 2004–05 में जमाबंदी कायम हुई है। इस वाद के आवेदक मिथिलेश कुमार के विक्रेता दयमंती देवी की जमाबंदी वर्ष 2009–10 में तथा मिथिलेश कुमार के नाम से वर्ष 2012–13 में कायम की गयी है। प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व से विपक्षी के नाम से कायम रहने के कारण आवेदक का दावा मान्य नहीं हो सकता।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 33/2013–14 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 03.02.2015 को पारित आदेश विधि सम्मत है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना